

21/06/22 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्टस उपास्थिता  
अपीलान्टस स्वयं ने उपास्थित होकर उर्ध्व  
पत्र उस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी  
अपील इथायालय हाज में जाकर है।

अपीलान्टस द्वारा उर्ध्व पत्र उस्तुत कर  
निवेदन किया गया है कि वह अपील को  
आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वे अब  
पत्रावली में कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं  
चाहते हैं अपील जरिये विद्वाँ खारिज  
करवाना चाहते हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
चूंकि अपीलान्टस स्वयं उपास्थित आकर  
जरिये विद्वाँ अपील खारिज की जावे।  
अपीलान्टस का उर्ध्व पत्र स्वीकार  
किया जाकर अपील अपीलान्टस को खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर  
इसब जाह्ला कारियल दफतर हो। फैसला  
आज दिनांक 21-06-2022 को खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

4 ✓  
उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर